संख्या: 42/2017/879**/33-3-2017-30/2017 टी.सी.।।।**

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।

2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी,उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-**3** लखनऊ: दिनांक 11 मई, **2017**

विषयक: स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्माणाधीन शौचालयों से सम्बन्धित निर्माण श्रमिकों/राजमिस्त्रियों का शतप्रतिशत पंजीयन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-39/2016/ 1462/36-2-2016-7(G)/2015 दिनांक 29 सितम्बर, 2016 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पात्र निर्माण श्रमिकों का शतप्रतिशत पंजीयन कराने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

2- स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के 30 जनपदों को 31 दिसम्बर, 2017 तक खुले में शौच मुक्त करने का वृहद लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही साथ प्रदेश के शेष 44 जनपदों को भी दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 तक खुले में शौच मुक्त किया जाना लक्षित है। इस परियोजना में शौचालयों के निर्माण में राजमिस्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शासन द्वारा निर्धारित उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लगभग 1.55 करोड़ शौचालयों का निर्माण आगामी महीनों में कराया जाना है, जिसके लिए लगभग 1.50 लाख राजमिस्त्रियों की टीम तैयार की जा रही है तथा इस हेतु उन्हें आगामी 02 माह में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किये जाने की भी वृहद कार्ययोजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त अधिक संख्या में राजमिस्त्री वर्तमान में भी स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अभियान के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण कर रहे हैं।

3- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु विभिन्न लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे ऐसे श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को दुर्घटना, मृत्यु, गम्भीर बीमारी आदि की स्थिति में लाभान्वित कराया जा सके, उन्हें अवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा सके तथा ऐसे श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा पर

http://shasnadesh.up.nic.in

होने वाले व्यय में मदद की जा सके। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि पात्र निर्माण श्रमिकों का शतप्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। श्रमिकों के पंजीयन के दृष्टिकोण से शासनादेश संख्या-18/2015/1621/छत्तीस-2-2015-7(G)/2015 दिनांक 29.12.2015 द्वारा शतप्रतिशत पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं।

4- उक्त शासनादेश दिनांक 29.12.2015 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्माणाधीन शौचालयों में कार्यरत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी तथा विकास खण्डों हेतु खण्ड विकास अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नामित करते हुए श्रमिकों के पंजीयन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। जनपदों में तैनात श्रम विभाग के अधिकारियों को नोडल/सहायक नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए हैं।

5- अत: इस संबधं में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने जनपद में स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अभियान के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु कार्यरत पात्र निर्माण श्रमिकों/राजमिस्त्रियों का शतप्रतिशत पंजीयन कराने का कष्ट करें, ताकि आवश्यकतानुसार उन्हें अनुमन्य लाभ प्राप्त हो सके।

संलग्नक**: यथोक्त।**

भवदीय,
(चंचल कुमार तिवारी**)**
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक**:-** तदैव।

प्रतिलिपि**: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

2-निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

3- श्रमायुक्त, उ0प्र0।

4-सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।

5-सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0

6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सुशील कुमार मौर्य)
विशेष सचिव।

http://shansnadeshup.nic.in

http://Shasnadeshup.nic.in